मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 4017 /एफ-3-08/2019/तेरह भोपाल, दिनांक 20 MAY 2019

प्रति,

MD/ CGM(Com)

1. प्रबंध संचालक,
एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर।

2. प्रबंध संचालक,
म.प्र. मध्य / पश्चिम / पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
भोपाल / इंदौर / जबलपुर।

विषय:-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए "इंदिरा गृह ज्योति योजना" लागू करने के संबंध में।

संदर्भ:-(1) विभाग का पत्र क्रमांक 1164 / एफ-3-08 / 2019 / तेरह दिनांक 13.02.2019
(2) विभाग का पत्र क्रमांक 1420 / एफ-3-08 / 2019 / तेरह दिनांक 22.02.2019

1006
25/5/19

:-:

उपरोक्त विषयांतर्गत राज्य शासन द्वारा दिनांक 07.02.2019 को लिए गए निर्णय अनुसार विभागीय परिपत्र क्रमांक 1164 दिनांक 13.02.2019 द्वारा प्रदेश में स्थायी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं हेतु "इंदिरा गृह ज्योति योजना" लागू की गई है। विभाग द्वारा पूर्व में लागू की गई सरल बिजली बिल स्कीम को इस योजना में समाहित करते हुए पात्र हितग्राहियों को 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर अधिकतम 100 रूपये प्रतिमाह का बिल देने का प्रावधान किया गया है। हितग्राहियों द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर प्रचलित टैरिफ अनुसार, 100 यूनिट से अधिक की खपत पर लागू ऊर्जा प्रभार, एफ.सी.ए.,

O/o MANAGING DIRECTOR
(CZ) BHOPAL
R.R. No. 763
Date 24/5/19

GM-CP for n/a
24/5

मीटर प्रभार, विद्युत शुल्क का भुगतान उपभोक्ता द्वारा स्वयं करने का प्रावधान है। साथ ही 100 यूनिट से अधिक खपत के कारण नियत प्रभार में होने वाली वृध्दि के अंतर की राशि भी हितग्राही द्वारा स्वयं देय है।

2/ तत्पश्चात हितग्राहियों को खपत पर नियंत्रण हेतु समय देते हुए उपरोक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से पूर्णतया लागू करने के स्थान पर विभागीय परिपत्र क्रमांक 1420 दिनांक 22.02.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि इंदिरा गृह ज्योति योजना में अंतरित सरल उपभोक्ताओं से 100 यूनिट से अधिक विद्युत उपभोग की दशा में अधिक खपत हेतु भुगतान प्राप्त करने के स्थान पर ऐसे उपभोक्ताओं की बिलिंग सरल बिजली बिल स्कीम के अनुसार (अधिकतम 200 रूपये प्रतिमाह) ही पूर्व की भाँति आगामी आदेश तक जारी रखी जाये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि 100 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उक्त हितग्राहियों को ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूक किया जाये एवं उन्हें समझाईश दी जाये कि वे अपनी खपत को यथासंभव 100 यूनिट के भीतर रखने के प्रयास करें, जिससे कि वे इंदिरा गृह ज्योति योजना अंतर्गत 200 रूपये के स्थान पर मात्र 100 रूपये के मासिक भुगतान पर बिजली प्राप्त कर सकें।

3/ राज्य शासन की मंशा के अनुरूप पंजीकृत श्रमिकों / संनिर्माण कर्मकारों को 100 यूनिट तक बिजली 100 रूपये में देने तथा विद्युत ऊर्जा का अपव्यय रोकने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद आदेश दिनांक 07.02.2019 एवं विभागीय परिपत्र क्रमांक 1164 दिनांक 13.02.2019 का परिपालन सुनिश्चित करने हेतु एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि -

(i) विभागीय परिपत्र क्रमांक 1420 दिनांक 22.02.2019 से जारी बिलिंग व्यवस्था को वापस लेते हुए उपभोक्ताओं को समझाईश जारी रखी जाए।

(ii) उक्त कार्यवाही आगामी बिलिंग चक्र से सुनिश्चित की जाये।

(iii) सभी वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये कि इंदिरा गृह ज्योति योजना अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं की बिलिंग विभागीय परिपत्र क्रमांक 1164 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार की जा रही है।

(iv) एक किलोवाट तक संयोजित विद्युत भार की शर्त की पूर्ति हेतु 150 यूनिट प्रतिमाह से अधिक खपत वाले हितग्राहियों के संयोजनों का भौतिक सत्यापन करते हुए उनकी पात्रता का परीक्षण कर उपयुक्त निर्णय लिया जाये।

(v) 150 यूनिट प्रतिमाह से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं की सूची श्रम विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके द्वारा भी ऐसे श्रमिकों / संनिर्माण कर्मकारों की संबल योजना हेतु पात्रता संबंधित शर्तों के आधार पर परीक्षण कर उनके बारे में उपयुक्त निर्णय लिया जाये।

4/ प्रबंध संचालक, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा उपरोक्त निर्देशों के परिपालन की पूर्ण प्रक्रिया की सतत् निगरानी की जाये।

Keshari

(आई.सी.पी. केशरी) 19/5
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग